सं.ए.12018/01/2012-ईपीआई खण्ड-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(टीका संस्थान)

निर्माण भवन , नई दिल्ली

दिनांक: फरवरी, 2017

सूचना

यह मंत्रालय केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में तकनीकी अधिकारी पद के लिए भर्ती नियमों को तैयार करने की समीक्षा कर रहा है। इस संदर्भ में भर्ती नियमों का प्रारुप तैयार कर लिया गया है तथा सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य शामिल एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों तो, आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां, इस सूचना के अपलोड किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को कमरा सं. 508, डी- विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत कर दी जाएं तथा सॉफ्ट प्रति barjmohan.meena@nic.in को भेजी जाएं।

संलग्नक: यथोपरि

बी.एल. मीना

(बी.एल. मीना)

अवर सचिव

दूरभाष: 23061436

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल (स्तर)	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीकी अधिकारी	10 (दस) *2017 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसचिवीय, अराजपत्रित,	लेवल-7 (44900-142400 रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	लेवल 6 (35400- 112400 रु.) में पांच वर्ष की नियतमित सेवा वाले ऐसे सहायक तकनीकी अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली के ग्रुप 'क' के तकनीकी अधिकारी के परिविक्षण में संस्थान की सी जीएमपी में 4 सप्ताह का अनिवार्य पशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।	विभागीय पदोन्नति समिति i) अपर महानिदेशक/ उप-महानिदेशक डीजीएचएस : अध्यक्ष ii) निदेशक सीआरआई, कसौली : सदस्य iii) एडीजी, डीजीएचएस : सदस्य iv) निदेशक / उप-निदेशक प्रशासन: डीजीएचएस : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शन आवश्यक नहीं।